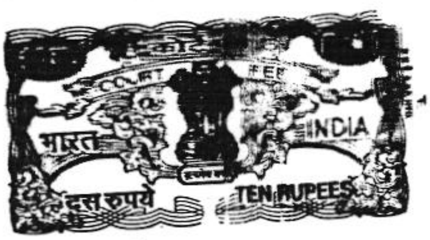

135

राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

न्यायालय श्रीमान् ~~जिलाधीश~~ महोदय ~~रतलाम~~ जिला रतलाम

R – (2023)-1831-PBR/16 निगरानी प्रकरण कमांक:

1--शंकरलाल पिता चांदनारायणजी जाति तैली
2--केशरीमल पिता चांदनारायणजी जाति तैली
3--मोतीलाल पिता चांदनारायणजी जाति तैली
4--भेरूलाल पिता चांदनारायणजी जाति तैली
5--भंवरलाल पिता चांदनारायणजी जाति तैली
निवासीगण बरखेडाकला तहसील आलोट ....अपीलान्ट्स

बनाम

1--कैलाश पिता रामचन्द्रजी जाति महाजन
2--सत्यनारायण पिता रामचन्द्रजी जाति महाजन
3--गौपाल पिता रामचन्द्रजी जाति महाजन
निवासीगण बरखेडाकला तहसील आलोट .... रेस्पाडेन्टस्

श्री राधेश्याम सोलंकी अभिभाषक द्वारा पेश उज्जैन प्राप्त (signature)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी बनाराजगी तहसीलदार साहब आलोट के प्रकरण कमांक 2--अ 12/2015--2016 मे प्रस्तुत सिमांकन रिपोर्ट व पंचनामा से व्याथीत होकर।

मान्यवर महोदय,

अपीलान्ट की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत है :--

1-- यह कि रेस्पाडेन्ट ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बरखेडाकला स्थित भूमि सर्वे कमाक 739/2, 740/2, 741 कुल रकबा 0--215 हेक्टर भूमि का सीमांकन किया जावे। इस पर राजस्व निरीक्षक आलोट द्वारा दिनांक 15-02--2016 को पडोसी कृषक को सूचना पत्र जारी किया गया और केवल भेरूलाल पिता रतनलाल व भदरलाल पिता रामाजी जाति तेली को सूचना पत्र तामील करवाया शेष अपीलान्ट को सिमांकन बाबत कोई सूचना नही दी, राजस्व निरीक्षक महोदय आलोट द्वारा सूचना पत्र तो जारी किया गया लेकीन उक्त सूचना पत्र मे किस दिनांक को सिमांकन किया जाना है दिनांक व समय का कोई उल्लैख नही किया गया है मात्र खाना पूर्ति कर घर बैठकर रिपोर्ट व पंचनामा तैयार किया जिससे व्याथीत होकर निम्न कानूनी एवं वाकेयाती उजरात के आधार पर यह अपील प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार

1:- यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे बनाया गया रिपोर्ट व पंचनामा विधी विधान के विपरीत होनेसे निरस्त किया जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

(22)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1831-पीबीआर/16 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी. सोलंकी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	